जिला पदाधिकारी, सारण के अध्यक्षता में दिनांक–04.03.16 को आयोजित प्रधान लिपिकों के बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति** – पंजी में संधारित है।

2. **कार्यवाही** –सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिकों को जिला पंचायत राज पदाधिकारी–सह–स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण द्वारा निदेशित किया गया कि जिला पंचायत शाखा, छपरा द्वारा यात्रा भत्ता मद एवं कार्यालय व्यय मद में उपावंटित राशि की निकासी अवश्य कर ली जाय, यदि उक्त मद में राशि की आवश्यकता हो तो आकंलन कर राशि की माँग का पत्र अविलंब जिला पंचायत शाखा, छपरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय से उपावंटित राशि, जो व्यय योग्य नही है उस राशि को संबंधित कार्यालय को शीघ्र प्रत्यार्पण पत्र भेजा जाय।

3. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्न कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है और न संबंधित कार्यालय से प्रधान लिपकि बैठक में भाग लिए प्रखंड रिविलगंज एवं मांझी, अंचल जलालपुर, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदधिकारी योजना एवं लेखा, जिला माध्याहन भोजन योजना, नलकूप प्रमंडल, छपरा, भवन प्रमंडल, छपरा, जिला अभियंता, जिला परिषद, छपरा, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, छपरा, लघु सिंचाई अंचल छपरा, विशेष भू–अर्जन गण्डक योजना, छपरा, नगर परिषद, छपरा नगर पंचायत, रिविलगंज एवं राष्ट्रीय बचत कार्यालय, छपरा। संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण माँगने का निदेश दिया गया।

4. **जनशिकायत** :– समीक्षा के क्रम पाया गया कि विभिन्न कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन में लम्बित मामलों की संख्या में एवं जिला जन शिकायत कोषांग में तैयार की गई मामलों की लम्बित सूची में भिन्नता है।

सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि जिला जन शिकायत कोषांग से सर्म्पक कर लम्बित मामलों की सूची प्राप्त कर ले एवं जिन मामलों का प्रतिवेदन जिला जन शिकायत कोषांग को भेज दिया गया है उन मामलों से संबंधित पत्र के साथ जिला जन शिकायत में सर्म्पक कर लम्बित सूची में सुधार करा ले। जन शिकायत कोषांग के प्रधान लिपिक को भी निदेश दिया गया कि जिन कार्यालयों से प्रतिवेदन भेजने की सूचना प्राप्त हो रहा है उसे लम्बित सूची में सुधार अवश्य कर ले, ताकि भविष्य में लम्बित सूची में भिन्नता नही हो सके। सभी प्रधान सहायकों को यह भी निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार एवं सचिवालय से संबंधित मामलों आयुक्त महोदय के जनता दरबार से प्राप्त लम्बित मामलों को दिनांक–11.03.2016 तक अवश्य निष्पादन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें साथ ही जिला पदाधिकारी के जनता दरबार से संबंधित मामलों को भी शीघ्र निष्पादन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें। मुख्य मंत्री के जनता दरबार एवं सचिवालय से संबंधित मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन नही होने की स्थिति में संबंधित कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

5. **रोकड़ पंजी** :– विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–06.02.16 को आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद प्रतिवेदन के साथ कुछ कार्यालयों द्वारा रोकड़ बही का शीर्षवार/बैकवार अन्तशेष संलग्न नही किया गया है। जिन कार्यालयों से रोकड़ पंजी की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है वह भी अदयतन नही है। रोकड़ पंजी अदयतन नही रखना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है। सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया है कि रोकड़ पंजी अदयतन कराना सुनिश्चित करेगें, साथ ही अगली बैठक में प्रतिवेदन के साथ अदयतन रोकड़ पंजी का शीर्षवार एवं बैकवार अन्तशेष की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

6. प्रखंड कार्यालय, सोनपुर के निरीक्षण में पाया गया कि भिन्न–भिन्न बैंकों का कुल–22 पास बुक पाया गया, जबकि सरकार का निदेश है कि अत्यधिक संख्या में बैंक पासबुक न रखा जाय। सभी प्रधान लिपिकों का निदेश किया गया कि जिन शीर्षो की बैंक खाता की आवश्यकता नही है। उस बैंक खाता में अवशेष राशि को उस शीर्ष में राशि जमा करने हेतु जिला लेखा पदाधिकारी, सारण एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण से जाँच कराकर संबंधित शीर्ष में अवशेष राशि को जमा कर बैंक खाता को बन्द कराने की कार्रवाई किया जाय एवं उसका प्रतिवेदन स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण को उपलब्ध कराया जाय। स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण को निदेश दिया गया कि एक दिन में दो कार्यालय का बैंक खाता की जाँच करने हेतु रोस्टर बनाकर संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करेगं।

7. **लोकायुक्त से संबंधित मामले** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोकायुक्त कार्यालय से संबंधित निम्न कार्यालयों में मामला लम्बित है– बाल विकास परसा–1, अंचल निबंधक–1, अनुमंडल कार्यालय, सोनपुर–1, जिला सामान्य शाखा–29, जिला प्रोग्राम शाखा, छपरा–1 उपस्थित संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि लम्बित मामले को शीघ्र निष्पादन करने की कार्रवाई की जाय।

8. **अंकेक्षण** :– प्राप्त प्रतिवेदन में पाया गया कि विभिन्न कार्यालयों में अंकेक्षण से संबंधित मामले लम्बित है– प्रखंड दिघवारा–1, इसुआपुर–2, बनियापुर–1, नगरा–1, मशरक–2 एवं मांझी–2 अंचल सोनपु–1, परसा–1, पानापुर–1, बाल विकास सोनपुर–1, अनुमंडल सोनपुर–1, जिला पशुपालन–1 दिनांक–06.02.16 के बैठक में भी लम्बित अंकेक्षण का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया, लेकिन इसका अनुपालन नही हुआ है। संबंधित कार्यालय के प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया है। लंबित अंकेक्षण को शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

9. **विधान सभा प्रश्नोत्तर** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्न कार्यालय में विधान सभा मामला लम्बित है–प्रखंड परसा–1, अंचल सदर–2, दिघवारा–1, सोनपुर–1, तरैया–1, इसुआपुर–1 परसा–1, पानापुर–1, जिला आपूर्ति शाखा–7 एवं जिला प्रोग्राम शाखा–1, अनुमंडल मढ़ौरा–3, सभी प्रधान लिपिकों को बतलाया गया कि विधान सभा सत्र चल रहा है, इसलिए निदेश दिया गया है कि विधान सभा प्रश्न का उत्तर सामग्री संबंधित कार्यालय को शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय।

10. **सूचना का अधिकार :-** प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्न कार्यालयों में सूचना के अधिकार से संबंधित मामला लम्बित है- प्रखंड सदर-11, दिघवारा-4, सोनपुर-3, गड़खा-9, मढ़ौरा-4, तरैया-2, इसुआपुर-4, नगरा-1, पानापुर-1, रिविलगंज-1, अंचल कार्यालय, सदर छपरा-29, दिघवारा-1, दरियापुर-2, गड़खा-2, तरैया-5, मशरक-2, मांझी-4, रिविलगंज-4, बाल विकास जलालपुर-1, सदर छपरा-3, परसा-4, मांझी-1, जिला आपदा प्रबंधन शाखा-1, जिला भू-अर्जन शाखा-10, अनुमंडल कार्यालय, मढ़ौरा-7, अनुमंडल सदर छपरा-10, अनुमंडल सोनपुर-3, जिला विधि शाखा-1,जिला कोषागार-3 भूमि सुधार कार्यालय सोनपुर-2, जिला कल्याण शाखा-2, जिला सामान्य शाखा-2, जिला प्रोग्राम शाख-10, उत्पाद अधीक्षक-1, जिला सांख्यिकी-5, DRDA-1, जिला शस्त्र शाखा-2, जिला कृषि पदाधिकारी-3 संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों को शीघ्र निष्पादन करना कराना सुनिश्चित किया जाय।

11. **C.W.J.C/M.J.C:-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कार्यालयों में C.W.J.C/M.J.C में माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नही किया गया है। संबंधित सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि शीघ्र तथ्य विविरणी तैयार कर करावा कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ दाखिल करने हेतु कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय एवं शपथ पत्र की एक प्रति ओथ संख्या एवं दिनांक के साथ जिला विधि शाखा, छपरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

12. **निरीक्षण टिप्पणी :-** दिनांक-06.02.16 को आयोजित बैठक में सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया गया था कि अपने-अपने कार्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराया जाय, लेकिन दिये गये निदेश का किसी भी प्रधान लिपिक द्वारा अनुपालन नही किया गया है जो अत्यंत ही खेदजनक स्थिति। सभी प्रधान लिपिकों को चेतावनी देते हुए निदेश दिया गया कि सभी प्रधन लिपिक अपने-अपने कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रधान लिपिक अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण बनाये रखेगें जो कभी प्रधान लिपिक का बात नही मानते है, तो उसकी सूचना अपने कार्यालय प्रधान को देगे यदि कार्यालय प्रधान उसपर कोई कार्रवाई नही करते है तो सीधे जिला पदाधिकारी को सूचित करेगें।

13. **सेवान्त लाभः-** प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सेवांत लाभ का निम्नवत मामला लम्बित है- प्रखंड कार्यालय, मकेर-1, गरखा-1, मढ़ौरा-1, बनियापुर-4, जलालपुर-1, नगरा-1, मांझी-4, अंचल कार्यालय, मकेर-1, गरखा-1, अमनौर-1, बाल विकास परियोजना कार्यालय, लहलादपुर-1, जिला अवर निबंधक-2, अनुमंडल सदर-1, जिला कोषागार-1, भू0सु0उप समा0, सदर-1, उत्पाद अधीक्षक-1, जिला पशुपालन-2, जिला कृषि पदाधिकारी-12 एवं सिविल सर्जन-17 संबंधित पदाधिकारी एवं बैठक में उपस्थित प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि लम्बित सेवान्त लाभ का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करेगें। अगर अगली बैठक के पूर्व लम्बित सेवान्त लाभ का निष्पादन नही होता है, तो सेवानिवृत कर्मी का नाम सेवानिवृति तिथि एवं कौन-कौन से सेवान्त लाभ लम्बित है तथा लम्बित रहने के कारण सहित प्रतिवेदन जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

14. प्राय यह देखा जाता है कि प्रधान लिपिकों के आयोजित बैठक में प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक के स्थान पर किसी कर्मी को बैठक में भाग लेने हेतु भेज दिया जाता है। उनसे प्रतिवेदन के संबंध में पूछे जाने पर वे अनभिज्ञता प्रकट करते है, जिससे प्रतिवेदन की सही समीक्षा नही हो पाती है। सभी कार्यालय के प्रधान को निदेशित किया जाता है कि प्रधान लिपिक के आयोजित बैठक में प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक को ही बैठक में भाग लेने हेतु भेजा जाय। यदि किसी कारण वश प्रधान लिपिक बैठक में भाग नही ले सकते है तो वैसे स्थिति में किसी जानकार लिपिक को बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत करेगें। सभी प्रधान लिपिकों को निदेशित किया जाता है कि बैठक में भाग लेने वाले प्रधान लिपिक/प्रभारी प्रधान लिपिक प्रतिवेदन के संबंध में सही जानकारी प्राप्त कर ही बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेगें।

15. प्रधान लिपिकों के बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि जन शिकायत, आर0टी0पी0एस0 एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले लम्बित पायी गई, जिस कारण वहाँ के विकास कार्य एवं अन्य महत्वांकाक्षी योजनाएँ प्रभावित हो रही है इसलिए सभी प्रखंड/अंचल के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को दिनांक-04.03.16 को पंचायत निर्वाचन शाखा की तैयारी रोकड़ बही शीर्षवार/बैकवार जाँच, कर्मियों की उपस्थिति, जन शिकायत से संबंधित लम्बित मामले, एसी/डी सी विपत्र, लोक सेवा का अधिकार, सी0डब्लू0जे0सी0, सूचना के अधिकार लोकायुक्त, मानवाधिकार, लोक सभा विधान सभा एवं अंकेक्षण से संबंधित मामलों की जाँच कर प्रतिवेदन जिला स्थापना शाखा, छपरा को उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निदेश दिया गया।

16. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडल कार्यालय, मढ़ौरा में लम्बित पत्र-57, सूचना के अधिकार से संबंधित-7, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित-32, जिला पदाधिकारी के जनता दरबार-85 एवं अन्य स्त्रोत से 63 मामले लम्बित है, जिससे स्पष्ट है कि अनुमंडल पदधिकारी, मढ़ौरा द्वारा कार्यो में अभिरूची नही लिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्देश दिया गया कि अत्यधिक संख्या में लंबित पत्रों का निष्पादन अविलंब करते हुए लंबित रहने के संबंध में प्रधान लिपकि/अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा अपना स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करेगें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक-348**/स्था0, छपरा** **दिनांक-**14-03-16

प्रतिलिपिः- सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र,छपरा को सूचनार्थ एवं बेबसाइट/मेल पर प्रेषित करने हेतु निदेशित।

14/03/16
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा